



स्टेट बैंक समूह
State Bank Group

नई पूँजी पर्याप्तता संरचना
(बेसल - II)
New Capital Adequacy Framework
(Basel - II)

स्तंभ - III (बाजार अनुशासन)
प्रकटीकरण
Pillar - III (Market Discipline)
Disclosures



**स्तंभ III के अंतर्गत
नई पूँजी पर्याप्तता संरचना संबंधी प्रकटीकरण
तालिका डीएफ-1
कार्यान्वयन क्षेत्र**

गुणात्मक प्रकटीकरण :

(क) समूह के शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है: **भारतीय स्टेट बैंक**

(ख) लेखाकरण एवं विनियामक अपेक्षाओं के लिए समेकन के आधार में विभिन्नताओं का सारांश और समूह के अंतर्गत सम्मिलित संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण

समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों जिसमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देश, लेखामानक/आईसीएआइ द्वारा जारी मार्गदर्शक टिप्पणियाँ शामिल हैं, के अनुरूप हैं। स्टेट बैंक समूह में निम्नलिखित अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी हैं।

(i) **पूर्णतः समेकित :** निम्नलिखित अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों (जो अनुषंगियाँ भी हैं) को लेखामानक एएस 21 के अनुसार अक्षरशः समेकित किया गया है।

क्रमांक	नाम	गतिविधि	धारिता
	देशीय		
1	स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर	बैंकिंग	75.07%
2	स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद	बैंकिंग	100.00%
3	स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर	बैंकिंग	92.33%
4	स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर	बैंकिंग	98.05%
5	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला	बैंकिंग	100.00%
6	स्टेट बैंक ऑफ़ ट्रावणकोर	बैंकिंग	75.01%
7	स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र (13.08.08 तक)	बैंकिंग	100.00%
8	एस बी आई सी आई बैंक लिमिटेड	बैंकिंग	100.00%
9	एस बी आई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	गैर-बैंकिंग वित्तीय कं.	86.16%
10	एस बी आई कैप सिव्युरिटीज लिमिटेड	गैर-बैंकिंग वित्तीय कं.	86.16%
11	एस बी आई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	गैर-बैंकिंग वित्तीय कं.	86.16%
12	एस बी आई कैप्स वेंचर्स लिमिटेड	गैर-बैंकिंग वित्तीय कं.	86.16%
13	एस बी आई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	गैर-बैंकिंग वित्तीय कं.	60.00%
14	एस बी आई डी एफ एच लिमिटेड	प्राथमिक डीलर	65.95%
15	एस बी आई फैक्टर्स एंड कमर्शियल सर्विसेस लिमिटेड	फैक्टरिंग	69.88%
16	एस बी आई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	म्यूचुअल फंड	63.00%
17	एस बी आई एम एफ ट्रस्टी कं. प्रा. लिमिटेड	म्यूचुअल फंड न्यासी	100.00%
18	एस बी आई लाइफ इंश्योरेंस कं.लिमिटेड	बीमा	74.00%
19	ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड	फैक्टरिंग	92.85%
20	एस बी आई पेंशन फण्डस् प्रा. लि.	म्यूचुअल फण्डस्	96.85%
21	एस बी आई कस्टोडियल सर्विसेस प्रा. लि.	—	100.00%
22	एस बी आई साधारण बीमा कंपनी लि.	बीमा	100.00%
	विदेशी		
23	एस बी आई, कनाडा	बैंकिंग	100.00%
24	एस बी आई, कैलिफोर्निया	बैंकिंग	100.00%
25	एस बी आई इंटरनेशनल (मारीशस) लिमिटेड	बैंकिंग	93.40%
26	कमर्शियल बैंक ऑफ़ इंडिया एलएलसी मॉस्को	बैंकिंग	60.00%
27	पी टी बैंक इंडो मॉनिक्स लिमिटेड इंडोनेशिया	बैंकिंग	76.00%
28	एस बी आई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) लिमिटेड	म्यूचुअल फंड	63.00%
29	एस बी आई कैप (यू के) लिमिटेड	गैर-बैंकिंग वित्.कं.	86.16%

(ii) **आनुपातिक आधार पर समेकित :**

जो संस्थाएँ संयुक्त उद्यम हैं, उनका समेकन लेखा मानक-एएस 27 के अनुसार आनुपातिक आधार पर किया गया है।

क्रमांक	नाम	गतिविधि	धारिता
	देशीय		
1	जी ई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	बीपीओ	40.00%
2	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	सॉफ्टवेयर सेवाएँ	49.00%

(iii) स्टेट बैंक की सभी अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगी बैंकों का समेकन किया गया है। इसलिए ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसे समेकन में शामिल न किया गया हो। उपर्युक्त अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों के अलावा, निम्नलिखित सहयोगियों का समेकन लेखा मानक 23 के अनुसार इक्विटी लेखाकरण आधार पर किया गया है।



**NEW CAPITAL ADEQUACY FRAMEWORK
DISCLOSURES UNDER PILLAR III AS ON 31.03.2009**

**TABLE DF-1
SCOPE OF APPLICATION**

Qualitative Disclosures: As on 31.03.2009

- (a) The name of the Top Bank in the Group to which the Framework applies: **State Bank of India**
- (b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the Group

The consolidated Financial Statements of the Group conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise the statutory provisions, Regulatory/Reserve Bank of India (RBI) Guidelines, Accounting Standards/Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The following Subsidiaries/Joint Ventures and Associates constitute the State Bank Group.

- (i) **That are fully consolidated:** The following Subsidiaries and Joint Ventures (which are also Subsidiaries) are fully consolidated on a line by line basis as per Accounting Standard AS 21.

Sr. No	Name	Activity	Holding
DOMESTIC			
1	State Bank of Bikaner and Jaipur	Banking	75.07%
2	State Bank of Hyderabad	Banking	100.00%
3	State Bank of Mysore	Banking	92.33%
4	State Bank of Indore	Banking	98.05%
5	State Bank of Patiala	Banking	100.00%
6	State Bank of Travancore	Banking	75.01%
7	State Bank of Saurashtra (upto 13.08.08)	Banking	100.00%
8	SBICI Bank Ltd.	Banking	100.00%
9	SBI Capital Markets Ltd.	NBFC	86.16%
10	SBI CAP Securities Ltd.	NBFC	86.16%
11	SBI CAP Trustee Company Ltd.	NBFC	86.16%
12	SBI CAPS Ventures Ltd.	NBFC	86.16%
13	SBI Cards & Payment Services Ltd.	NBFC	60.00%
14	SBIDFHI Ltd.	Primary Dealers	65.95%
15	SBI Factors & Commercial Services Ltd.	Factoring	69.88%
16	SBI Funds Management Ltd.	Mutual Funds	63.00%
17	SBI MF Trustee Co. Pvt. Ltd.	MF Trustees	100.00%
18	SBI Life Insurance Co. Ltd.	Insurance	74.00%
19	Global Trade Finance Ltd	Factoring	92.85%
20	SBI Pension Funds Pvt Ltd.	Mutual Funds	96.85%
21	SBI Custodial Services Pvt Ltd.	Custodial Service	100.00%
22	SBI General Insurance Company Ltd	Insurance	100.00%
OVERSEAS			
23	SBI, Canada	Banking	100.00%
24	SBI, California	Banking	100.00%
25	SBI International (Mauritius) Ltd.	Banking	93.40%
26	Commercial Bank of India LLC Moscow	Banking	60.00%
27	PT Bank Indo Monex Ltd., Indonesia	Banking	76.00%
28	SBI Funds Management (Intl.) Ltd.	Mutual Funds	63.00%
29	SBI CAP (UK) Ltd.	NBFC	86.16%

- (ii) **That are pro-rata consolidated:**

The entities that are joint Ventures are consolidated pro rata as per Accounting Standard – AS 27.

Sr. No	Name	Activity	Holding
DOMESTIC			
1	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	BPO	40.00%
2	C-Edge Technologies Ltd.	Software Services	49.00%

- (iii) All the Subsidiaries, Joint Ventures and Associates of State Bank are consolidated. Hence there is no entity, which is excluded from consolidation. In addition to the above-mentioned Subsidiaries and Joint Ventures, the following Associates are consolidated as per Equity Accounting in terms of AS 23.



क्रमांक	नाम	गतिविधि	धारिता
1	क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.	समाशोधन	28.97%
2	यू टी आइ एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि.	आस्ति प्रबंधन	25.00%
3	एसबीआइ होम फाइनेंस लिमिटेड	आवास वित्त	25.05%
4	एस एस वेंचर्स लिमिटेड	वेंचर पूंजी वित्तीयन	43.08%
5	नेपाल एसबीआइ बैंक लिमिटेड	बैंकिंग	50.00%
6	बैंक ऑफ भूटान	बैंकिंग	20.00%
7	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	बैंकिंग	35.00%
8	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	35.00%
9	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	35.00%
10	इलाकाई देहाती बैंक	बैंकिंग	35.00%
11	का बैंक नांगकिडॉंग री खसी जैनटिया	बैंकिंग	35.00%
12	कृष्णा रूरल बैंक	बैंकिंग	35.00%
13	लंग्पी देहांगी रूरल बैंक	बैंकिंग	35.00%
14	मध्य भारत ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	35.00%
15	मिजोरम रूरल बैंक	बैंकिंग	35.00%
16	नागालैंड रूरल बैंक	बैंकिंग	35.00%
17	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	35.00%
18	पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	35.00%
19	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	35.00%
20	उत्कल ग्राम्य बैंक	बैंकिंग	35.00%
21	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	35.00%
22	वनांचल ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	35.00%
23	विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	34.32%
24	मारवाड़ गंगानगर बीकानेर ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	26.27%
25	डेक्कन ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	35.00%
26	कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	32.32%
27	मालवा ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	35.00%
28	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	35.00%

लेखाकरण एवं विनियामक प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में अंतर

विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित बैंक, समूह की उन कंपनियों को समेकन से बाहर रख सकता है जो बीमा व्यवसाय एवं ऐसे व्यवसाय से जुड़ी हैं जो वित्तीय सेवाओं से संबंधित नहीं हैं। इसलिए समेकित विवेकपूर्ण रिपोर्टिंग प्रयोजनों से निम्नलिखित संस्थाओं में समूह के निवेशों को लागत आधार पर लिया गया है और उसमें से क्षरण को घटाया गया है।

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	समूह का हिस्सा (%)
1	सी एज टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड	49.00
2	जी ई कैपिटल बिजिनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	40.00
3	एस बी आइ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	74.00

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

- (ग) सभी अनुबंधियों की पूंजी अभाव की कुल राशि को समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात् इन्हें हटा दिया गया है एवं ऐसी अनुबंधियों का नाम(के नाम) : कोई नहीं
- (घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हिस्से की कुल राशियाँ (अर्थात् वर्तमान बही-मूल्य) जो जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन या निवास का देश, स्वामित्व हिस्से का अनुपात, और यदि भिन्न हों तो इन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात और इसके अतिरिक्त इस पद्धति की तुलना में कटौती पद्धति का उपयोग करने पर विनियामक पूंजी पर परिमाणात्मक प्रभाव को सूचित करता है:

नाम : एस बी आइ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई

निगमन देश : भारत

स्वामित्व हिस्सा : ₹. 740.00 करोड़ (74%)

विनियामक पूंजी पर परिमाणात्मक प्रभाव :

समेकन पद्धति के अधीन : लागू नहीं

कटौती पद्धति के अधीन : पूंजी पर्याप्तता की गणना के प्रयोजन से बीमा अनुबंधों में किए गए कुल निवेश को बैंक की श्रेणी I और श्रेणी II की पूंजी से घटाया गया है।



Sr. No	Name	Activity	Holding
1	Clearing Corporation of India Ltd	Clearing	28.97%
2	UTI Asset Management Co. Pvt. Ltd.	Asset Management	25.00%
3	SBI Home Finance Ltd.	Home Finance	25.05%
4	S.S. Ventures Ltd	Venture Capital Financing	43.08%
5	Nepal SBI Bank Ltd	Banking	50.00%
6	Bank of Bhutan	Banking	20.00%
7	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	Banking	35.00%
8	Arunachal Pradesh Rural Bank	Banking	35.00%
9	Chhatisgarh Gramin Bank	Banking	35.00%
10	Ellaquai Dehati Bank	Banking	35.00%
11	Ka Bank Nongkyndong Ri Khasi Jaintia	Banking	35.00%
12	Krishna Grameena Bank	Banking	35.00%
13	Langpi Dehangi Rural Bank	Banking	35.00%
14	Madhya Bharat Gramin Bank	Banking	35.00%
15	Mizoram Rural Bank	Banking	35.00%
16	Nagaland Rural Bank	Banking	35.00%
17	Parvatiya Gramin Bank	Banking	35.00%
18	Purvanchal Kshetriya Gramin Bank	Banking	35.00%
19	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	Banking	35.00%
20	Utkal Gramya Bank	Banking	35.00%
21	Uttaranchal Gramin Bank	Banking	35.00%
22	Vananchal Gramin Bank	Banking	35.00%
23	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank	Banking	34.32%
24	Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank	Banking	26.27%
25	Deccan Grameena Bank	Banking	35.00%
26	Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	Banking	32.32%
27	Malwa Gramin Bank	Banking	35.00%
28	Saurashtra Grameena Bank	Banking	35.00%

Differences in basis of consolidation for accounting and regulatory purposes

In terms of Regulatory Guidelines, the consolidated Bank may exclude from consolidation, Group companies which are engaged in Insurance business and business not pertaining to Financial Services. Hence, the Group's investments in the under mentioned entities are taken at cost less impairment, if any, for Consolidated Prudential Reporting purposes.

Sr. No.	Name of the Joint Venture	Group's Stake (%)
1	C Edge Technologies Pvt Ltd	49.00
2	GE Capital Business Process Management Services Pvt Ltd	40.00
3	SBI Life Insurance Company Ltd	74.00

Quantitative Disclosures:

- (c) The aggregate amount of Capital deficiencies in all Subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries: **Nil**
- (d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the Bank's total interests in Insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities in addition, indicate the quantitative impact on Regulatory Capital of using this method versus using the deduction:

Name: SBI Life Insurance Co. Ltd. Mumbai

Country of Incorporation: India

Ownership interest: Rs.740.00 crores (74%)

Quantitative Impact on the regulatory capital:

Under consolidation method: NA

Under deduction method: Entire investment made in the Insurance Subsidiary is reduced from Tier I & Tier II capital of the Bank, for the purpose of Capital Adequacy calculation.



तालिका डीएफ - 2 :
पूँजी संरचना :

गुणात्मक प्रकटीकरण
(क) सारांश

पूँजी का प्रकार	विशेषताएँ
ईक्विटी (श्रेणी-I)	भारतीय स्टेट बैंक ने मार्च 2008 के दौरान राइट इश्यू के जरिये कुल रु. 16,722 करोड़ की राशि (प्रीमियम सहित) जुटाई है। इसके अतिरिक्त बैंक ने कर्मचारी शेयर क्रय योजना के रूप में रु. 542 करोड़ की पूँजी भी जुटाई है। देशी बैंकिंग अनुबंधियों ने ईक्विटी लिखतों के जरिये ईक्विटी जुटाई है। प्रमुख शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक है, जबकि उनमें से कुछ जैसे स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ़ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर एवं स्टेट बैंक ऑफ़ ट्रावणकोर के पास पब्लिक शेयरधारिता भी है। देशीय गैर-बैंकिंग अनुबंधियों ने ईक्विटी लिखतों के माध्यम से ईक्विटी जुटाई है। प्रमुख शेयरधारक भारतीय स्टेट बैंक है तथा अन्य शेयरधारक इस प्रकार हैं- एडीबी (एसबीआइ कैप - 13.84%), एसजीएम (एसबीआइ फंड्स - 37%), जीई कैपिटल (एसबीआइ कार्ड्स-40%), सिडबी (एसबीआइ फैंक्टर्स - 20%) आदि।
नवोन्मेषी लिखत (श्रेणी-I)	भारतीय स्टेट बैंक ने वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नवोन्मेषी परपेचुअल ऋण लिखतों (आइपीडीआइ) के जरिये पूँजी जुटाई। कुछ बैंकिंग अनुबंधियों ने परपेचुअल ऋण लिखतों के जरिये भी पूँजी जुटाई। विदेशी अनुबंधी बैंकों ने आज की तारीख में नवोन्मेषी परपेचुअल ऋण लिखतों के जरिये श्रेणी-I की पूँजी नहीं जुटाई।
श्रेणी-II	भारतीय स्टेट बैंक तथा उसकी अनुबंधियों ने उच्चतर तथा न्यूनतर श्रेणी-II की पूँजी जुटाई। बाण्डों के निजी स्थानापन्न (प्राइवेट प्लेसमेंट) के माध्यम से जुटाए गए गौण ऋण दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय और सममूल्य पर मोचन योग्य हैं। इस ऋण को बैंक की वर्तमान एवं भावी वरिष्ठ ऋणग्रस्तता समझा गया है और यह श्रेणी-II पूँजी के लिए पात्र है। देशीय अनुबंधियों के मामले में उच्चतर श्रेणी-2 एवं श्रेणी-2 बांड (एसबीआइसीआइ बैंक लिमिटेड को छोड़कर) के जरिये श्रेणी-II की पूँजी जुटाई गई। ये बिल्कुल सादे बांड हैं, कोई पुट ऑप्शन अथवा कॉल ऑप्शन नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमोदन के बिना बांड का मोचन नहीं किया जा सकता। दिनांक 13 अगस्त 2008 को स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र का भारतीय स्टेट बैंक में विलय होने के बाद, स्टेट बैंक ऑफ़ सौराष्ट्र द्वारा रु. 200 करोड़ और रु. 225 करोड़ की दो शृंखलाओं में जुटाए गए रु. 425 करोड़ के गौण ऋण हमारी सूची में शामिल किए गए हैं और नीचे इस तालिका में मात्रात्मक प्रकटीकरण के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। एस बी आइ फैंक्टर्स (रु. 40.00 करोड़) एस बी आइ कार्ड्स (रु. 124.80 करोड़) और जीटीएफएल (रु. 100.20 करोड़) जैसी कुछ गैर-बैंकिंग अनुबंधियों ने भी श्रेणी-II की पूँजी के रूप में परिकल्पित गौण सावधि ऋण जुटाए हैं। विदेशी अनुबंधियों की श्रेणी-II की पूँजी में गौण सावधि विदेशी अनुबंधियों की श्रेणी-II की पूँजी में गौण सावधि ऋण और सामान्य प्रावधान शामिल हैं।

गुणात्मक प्रकटीकरण :

भारतीय स्टेट बैंक ने देशी एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संमिश्र श्रेणी-I पूँजी तथा उच्चतर एवं निम्नतर श्रेणी-II गौण ऋण लिया है। नवोन्मेषी अथवा संमिश्र पूँजी लिखतों के मामले में सभी पूँजीगत लिखतों की प्रमुख विशेषताओं की शर्तों का सार निम्नानुसार है :

पूँजी का प्रकार	प्रमुख विशेषताएँ				
ईक्विटी	रु. 634.88 करोड़				
इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रुमेंट्स	जारी करने की तारीख	राशि (करोड़ रुपए में)	अवधि (महीने)	कूपन (% वार्षिक वार्षिक आधार पर देय)	रेटिंग
	15.02.07	रु. 2028.80 करोड़ (400 मिलियन अमरीकी डॉलर)	परपेचुअल विद ए कॉल 10 वर्ष 3 महीने के बाद अर्थात् दिनांक 15.05.17 को कॉल ऑप्शन के साथ परपेचुअल तथा 100 आधार अंकों की स्टेप अप के साथ अर्थात् कॉल ऑप्शन का प्रयोग न किए जाने पर 6 माह अमरीकी डॉलर लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर+220 आधार अंक	6.439% मिड स्वीप + 120 आधार अंकों के बराबर	बीए 2 मूडी की बी बी - एस एंड पी
	26.06.07	रु. 1141.20 करोड़ (225 मिलियन अमरीकी डॉलर)	परपेचुअल विद ए कॉल 10 वर्ष के बाद अर्थात् दिनांक 26.06.17 को कॉल ऑप्शन के साथ परपेचुअल तथा 100 आधार अंकों की स्टेप अप अर्थात् कॉल ऑप्शन का प्रयोग न किए जाने पर 6 माह अमरीकी डॉलर लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर + 237 आधार अंक	7.140% मिड स्वीप + 137 आधार अंकों के बराबर।	बी ए ए 2 - मूडी की बी बी - एस एंड पी
	भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, इसके निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने नवीन बेमीयादी ऋण लिखत के रूप में पूँजी जुटाई है, एस बी बी जे रु. 200.00 करोड़, एस बी एच रु. 350 करोड़, एस बी इंदौर रु. 165 करोड़, एस बी एम रु. 160 करोड़ और एस बी टी रु. 279 करोड़।				
उच्च श्रेणी II गौण ऋण	<p>लिखत का प्रकार : अप्रतिभूत, प्रतिदेय अपरिवर्तनीय, वचन-पत्र के रूप में उच्च श्रेणी II गौण बांड।</p> <p>विशेषताएँ :</p> <p>i) निवेशकों द्वारा कोई विक्रय विकल्प नहीं।</p> <p>ii) 10 वर्ष पश्चात बैंक द्वारा क्रय विकल्प।</p> <p>iii) यदि बैंक द्वारा क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता तो 10 वर्ष पश्चात स्टेप-अप ऑप्शन।</p> <p>iv) यदि पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक सीएआर के नीचे है तो आवधिक ब्याज एवं परिपक्वता पर मूलराशि के भी भुगतान पर लॉक इन क्लाज।</p> <p>v) भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना कोई प्रतिदान नहीं।</p> <p>स्टेप-अप ऑप्शन : यदि बैंक 10 वर्ष पश्चात क्रय विकल्प का प्रयोग नहीं करता तो बांड 5 वर्ष की शेष अवधि के दौरान 50 आधार अंक का स्टेप-अप ऑप्शन उपलब्ध होगा।</p> <p>लॉक-इन-क्लाज : यदि सीएआर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक सीएआर के नीचे है तो बैंक का अवधि ब्याज एवं परिपक्वता पर मूलराशि के भुगतान का दायित्व नहीं होगा। तथापि, जहां तक बैंक न्यूनतम विनियामक सीएआर बनाए रखता है, निश्चित समय पर बैंक आवधिक ब्याज नहीं लगाएगा।</p>				



**TABLE DF-2:
CAPITAL STRUCTURE:**

Qualitative Disclosures

(a) Summary

Type of Capital	Features
Equity (Tier -I)	State Bank of India has raised Equity by way of Rights Issue during March 2008 aggregating Rs.16,722 crores (including Premium). Further the Bank has also raised Capital by way of Employees Stock Purchase Scheme aggregating Rs 542 crores. Domestic Banking Subsidiaries have raised equity through Equity Instruments. The majority shareholder is SBI while some of them like SBBJ, SB Indore, SBM and SBT have public shareholding as well. Domestic Non-Banking Subsidiaries have raised equity through Equity Instruments. The majority shareholder is SBI and the others are ADB (SBICAP-13.84%), SGAM (SBI FUNDS-37%), GE Capital (SBI CARDS-40%), SIDBI (SBI FACTORS-20%) etc.
Innovative Instruments (Tier-I)	SBI has raised Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDIs) in the International Market during FY: 06-07 and 07-08. Some of the Banking Subsidiaries have also raised Capital through Perpetual Debt Instruments. Foreign Subsidiary Banks have not raised Tier I Capital by way of IPDIs as of date.
Tier-II	SBI and its Subsidiaries have raised Upper as well as Lower Tier II Capital. The subordinated debts raised through private placement of Bonds are unsecured, long term, non-convertible and are redeemable at par. The debt is subordinated to present and future senior indebtedness of the Bank and qualifies for Tier II capital. In case of Domestic Subsidiaries, Tier-II capital has been raised by way of Upper Tier-2 as well as Tier-2 bonds (except SBICI Bank Ltd). They are plain vanilla bonds with no embedded put option or call option. Not redeemable without RBI's prior approval. Consequent to Merger of State Bank of Saurashtra with SBI on 13 th August 2008, Subordinated Debt (Lower Tier II) raised by SBS in two tranches of Rs.200 crores and Rs.225 crores aggregating Rs.425 crores have been included in our list and are shown under Quantitative Disclosures of this table below. Some of the Non-Banking Subsidiaries like SBI FACTORS (Rs.40.00 crores),SBI CARDS (Rs.124.80crores & GTFL (Rs.100.20 crores) have also raised subordinated term debt reckoned as Tier II capital. Tier II capital of Foreign Subsidiaries comprises of subordinated term debt, General provisions.

Qualitative Disclosures:

State Bank of India has raised Hybrid Tier I Capital and Upper and Lower Tier II Subordinated Debt in the Domestic and International Market. Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of innovative, complex or hybrid capital instruments are as under:

Type of capital	Main features				
Equity	Rs. 634.88 crores				
Innovative Perpetual Debt Instruments	Date of Issue	Amount (Rs. crores)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
	15.02.07	Rs. 2028.80 crores (USD 400 million)	Perpetual with a Call Option after 10 yrs 3 mths i.e. on 15.05.17 and step-up of 100 bps i.e. 6 months USD LIBOR + 220 bps, if Call Option is not exercised	6.439% equivalent to Mid swap + 120 bps	Baa2-Moody's BB - S & P
	26.06.07	Rs. 1141.20 crores (USD 225 million)	Perpetual with a Call Option after 10 years i.e. on 26.06.17 and step-up of 100 bps i.e. 6 months USD LIBOR + 237 bps, if Call Option is not exercised	7.140% equivalent to Mid swap + 137 bps	Baa2-Moody's BB - S & P
	Apart from SBI, the following Associate Banks of SBI have raised Innovative Perpetual Debt Instruments: SBBJ Rs.200.00 crores; SBH Rs.350 crores; SB Indore Rs.165 crores; SBM Rs.160 crores and SBT Rs.279 crores.				
Upper Tier II Subordinated Debt	<p>Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible, Upper Tier II Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes.</p> <p>Special features:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) No Put Option by the Investors. ii) Call Option by the Bank after 10 years. iii) Step-up Option after 10 years, if Call Option is not exercised by the Bank. iv) Lock-in-clause on payment of periodic interest and even Principal at maturity, if CAR is below the minimum regulatory CAR, prescribed by RBI. v) Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India. <p>Step-up Option: If the Bank does not exercise Call Option after 10 years, the Bonds carry a step-up-option of 50 bps during the remaining period of 5 years.</p> <p>Lock-in-Clause: Bank shall not be liable to pay either periodic interest on principal or even principal at maturity, if CAR of the Bank is below the minimum regulatory CAR prescribed by RBI. However, this will not proscribe the Bank from making periodical interest, as long as the Bank maintains the minimum Regulatory CAR, at the material time.</p>				



जारी करने की तारीख	राशि (रुपये करोड़ में)	अवधि (माह)	कूपन (प्रतिवर्ष % वार्षिक रूप से देय)	रेटिंग
05.06.06	2328	180	8.80%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
06.07.06	500	180	9.00%	एएए-क्रिसिल
12.09.06	600	180	8.96%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
13.09.06	615	180	8.97%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
15.09.06	1500	180	8.98%	एएए-क्रिसिल
04.10.06	400	180	8.85%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
16.10.06	1000	180	8.88%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
17.02.07	1000	180	9.37%	एएए-क्रिसिल
07.06.07	2523	180	10.20%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
12.09.07	3500	180	10.10%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
19.12.08	2500	180	8.90%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
02.03.09	2000	180	9.15%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
06.03.09	1000	180	9.15%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर

भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, उसकी निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने श्रेणी-II के बाण्डों के रूप में पूंजी जुटाई है: एसबीबीजे रु. 450.00 करोड़; एसबीएच रु. 500 करोड़; एसबी इंदौर रु. 550 करोड़; एसबीएम रु. 640 करोड़; एसबीपी रु. 1451.60 करोड़ और एसबीटी रु. 500 करोड़।

जारी करने की तारीख	राशि (रु. करोड़ में)	अवधि (माह)	कूपन (% प्रति वर्ष वार्षिक अवधि में देय)	रेटिंग
05.12.05	3283	113	7.45%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
09.03.06	200	111	8.15%	एलएएए-आइसीआरए एएए-केयर
28.03.07	1500	111	9.85%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
31.03.07	225	111	9.80%	एलएएए-आइसीआरए एएए-केयर
29.12.08	1500	114	8.40%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर
06.03.09	1000	111	8.95%	एएए-क्रिसिल एएए-केयर

भारतीय स्टेट बैंक के अलावा, उसके निम्नलिखित सहयोगी बैंकों ने श्रेणी-II के बाण्डों के रूप में पूंजी जुटाई है: एसबीबीजे रु. 1000 करोड़; एसबीएच रु. 1210 करोड़; एसबी इंदौर रु. 450 करोड़; एसबीएम रु. 425 करोड़; एसबीपी रु. 750 करोड़ और एसबीटी रु. 820 करोड़।

मात्रात्मक प्रकटन

(रु. करोड़ में)

(ख)	श्रेणी - I पूंजी	72406
	• चुकता शेयर पूंजी	635
	• आरक्षित निधियां	69517
	• नवोन्मेषी लिखत (केवल योग)	4324
	• अन्य पूंजी लिखत (केवल योग):	8
	• श्रेणी - I पूंजी से घटाई गई राशि (यदि हो तो योग)	2078
(ग)	कुल पात्र श्रेणी -II पूंजी (कटौतियां घटाकर) (नीचे (घ) और (ड.) देखें)	41708
(ग i)	कुल श्रेणी -3 पूंजी (यदि कोई हो) (नोट वर्तमान में श्रेणी 3 की कोई पूंजी नहीं)	0
(घ)	उच्च श्रेणी-II पूंजी में शामिल करने योग्य ऋण पूंजी लिखत:	
	• कुल बकाया राशि	23683
	• चालू वर्ष की कुल बकाया राशि	5500
	• पूंजी के रूप में शामिल करने योग्य राशि	23654
(ड)	निम्न श्रेणी 2 पूंजी में शामिल करने योग्य गौण ऋण	
	• कुल बकाया राशि	12518
	• चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई	2500
	• पूंजी के रूप में शामिल करने योग्य राशि	12491
(च)	पूंजी में अन्य कटौतियां यदि कोई हों	5571
(छ)	श्रेणी-II की पूंजी से अन्य कटौतियां यदि कोई हों	8
(ज)	कुल पात्र पूंजी (श्रेणी I तथा श्रेणी II पूंजी कटौतियां घटाकर)	
	इसका कुल योग मद (ख), (ग) तथा (ग i) के योग के समान होना चाहिए.	114114

टिप्पणियां:

- ✓ बेसल-I परिवेश में, बैंक द्वारा अनुबंधियों में किया गया इक्विटी निवेश (जहां हमारा धारिता 50% से अधिक है) श्रेणी-I पूंजी से 50% और श्रेणी-II पूंजी से 50% घटाया जाता है।
- ✓ बेसल-II परिवेश के अंतर्गत बैंक द्वारा वित्तीय इकाइयों में किया गया इक्विटी निवेश (जहां हमारा निवेश 30% से अधिक है) श्रेणी-I पूंजी से 50% और श्रेणी-II पूंजी से 50% घटाया जाता है।



Date of Issue	Amount (Rs. crores)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
05.06.06	2328	180	8.80%	AAA-CRISIL AAA-CARE
06.07.06	500	180	9.00%	AAA-CRISIL
12.09.06	600	180	8.96%	AAA-CRISIL AAA-CARE
13.09.06	615	180	8.97%	AAA-CRISIL AAA-CARE
15.09.06	1500	180	8.98%	AAA-CRISIL
04.10.06	400	180	8.85%	AAA-CRISIL AAA-CARE
16.10.06	1000	180	8.88%	AAA-CRISIL AAA-CARE
17.02.07	1000	180	9.37%	AAA-CRISIL
07.06.07	2523	180	10.20%	AAA-CRISIL AAA-CARE
12.09.07	3500	180	10.10%	AAA-CRISIL AAA-CARE
19.12.08	2500	180	8.90%	AAA-CRISIL AAA-CARE
02.03.09	2000	180	9.15%	AAA-CRISIL AAA-CAR
06.03.09	1000	180	9.15%	AAA-CRISIL AAA-CAR

Apart from SBI, the following Associate Banks of SBI have raised Upper Tier II bonds: SBBJ Rs.450.00 crores; SBH Rs.500 crores; SB Indore Rs.550 crores; SBM Rs.640 crores; SBP Rs.1451.60 crores and SBT Rs.500 crores.

Lower Tier II Subordinated Debt

Type of Instrument: Unsecured, Redeemable Non-convertible, Upper Tier II Subordinated Bonds in the nature of Promissory Notes.

Special features:

- I) Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc.
II) Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.

Date of Issue	Amount (Rs. crores)	Tenure (months)	Coupon (% p.a. payable annually)	Rating
05.12.05	3283	113	7.45%	AAA-CRISIL AAA-CARE
09.03.06	200	111	8.15%	LAAA-ICRA AAA-CARE
28.03.07	1500	111	9.85%	AAA-CRISIL AAA-CARE
31.03.07	225	111	9.80%	LAAA-ICRA AAA-CARE
29.12.08	1500	114	8.40%	AAA-CRISIL AAA-CARE
06.03.09	1000	111	8.95%	AAA-CRISIL AAA-CARE

Apart from SBI, the following Associate Banks of SBI have raised Lower Tier II bonds: SBBJ Rs.1000.00 crores; SBH Rs.1210 crores; SBIn Rs.450 crores; SBM Rs.425 crores; SBP Rs.750 crores and SBT Rs.820 crores.

Quantitative Disclosures

(Rs in crores)

b)	Tier-I Capital	72406
	• Paid-up Share Capital	635
	• Reserves	69517
	• Innovative Instruments (only total)	4324
	• Other Capital Instruments (only total)	8
	• Amt deducted from Tier-I Cap (if any total):	2078
(c)	Total Eligible Tier-2 Capital (Net of deductions) (Refer (d) and (e) below)	41708
(ci)	Total Tier-3 Capital (if any) (Note: as of now, no Tier-3 capital)	0
(d)	Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier-2 Capital	
	• Total amount outstanding	23683
	• Of which raised during Current Year	5500
	• Amount eligible to be reckoned as Capital	23654
(e)	Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier-2 Capital:	
	• Total amount outstanding	12518
	• Of which raised during Current Year	2500
	• Amount eligible to be reckoned as Capital	12491
(f)	Other Items of Tier II Capital if any	5571
(g)	Other Deductions from Tier II Capital if any	8
(h)	Total Eligible Capital (net of deductions from Tier I & Tier II Capital) [Should equal Total of (b), (c) and (c.i)]	114114

Notes:

- ✓ In Basel I scenario, the Bank deducts 50% from Tier I Capital and 50% from Tier II Capital, equity investment made in Subsidiaries (where our holding is higher than 50%).
✓ Under Basel II scenario, the Bank deducts 50% from Tier I Capital and 50% from Tier II Capital, equity investment made in the financial entities, where investment is more than 30%.



तालिका डीएफ-3 : पूंजी संरचना :
दिनांक 31.03.2009 को प्रकटीकरण
पूंजी - पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

<p>(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण की बैंक की पद्धति पर चर्चा का सारांश</p>	<ul style="list-style-type: none"> अग्रिम राशियों, अनुबंधित/संयुक्त उद्यमों में निवेश की पूर्वानुमानित वृद्धि तथा बेसल-II आदि के लागू होने से पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए और 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए वार्षिक रूप में अथवा आवश्यकता के अनुसार अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है। 3 वर्ष से 5 वर्ष की मध्यावधि के दौरान बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) विनियामक द्वारा निर्धारित 9% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात से अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने और गौण ऋण तथा ईक्विटी के अलावा समिश्र लिखत जैसे माध्यम से अपने पूंजी संसाधन को आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाने के लिए बैंक के पास कई विकल्प उपलब्ध हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान राइट इश्यू के माध्यम से ईक्विटी जुटाई और लगभग रु. 16,722 करोड़ की अतिरिक्त पूंजीगत निधियों (श्रेणी-I) को जोड़ दिया जिससे 8% की न्यूनतम श्रेणी-I पूंजी सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2008-09 में कर्मचारी शेयर क्रय योजना (ईएसपीएस) के माध्यम से रु. 542 करोड़ की ईक्विटी जुटाई। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक ने 5 श्रृंखलाओं में रु. 8000 करोड़ के श्रेणी-II गौण (श्रेणी-II पूंजी के रूप में परिकल्पित हुए) ऋण जुटाए। बैंक ने आईसीएपी नीति लागू की है जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है जिससे आर्थिक पूंजी का निर्वाह किया जा सकता है और इससे पूंजी जोखिम को पर्याप्त रूप से कम किया जा सकेगा। 																																													
<p>मात्रात्मक प्रकटीकरण (ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता</p> <ul style="list-style-type: none"> मानक पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो निवेश का प्रतिभूतिकरण 	<p>⇒ निधि आधारित: रु. 64,023 करोड़</p> <p>⇒ शून्य</p> <p>.....</p> <p>कुल रु. 64,023 करोड़ 9.00% की दर से पूंजी पर्याप्तता अनुपात</p>																																													
<p>(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता (* मानक अवधि पद्धति)</p> <ul style="list-style-type: none"> ब्याज दर जोखिम (जिसमें डेरीवेटिव्स शामिल है) विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसमें स्वर्ण शामिल है) ईक्विटी जोखिम 	<p>⇒ रु. 2,041.71 करोड़</p> <p>⇒ रु. 109.93 करोड़</p> <p>⇒ रु. 1,615.29 करोड़</p> <p>.....</p> <p>कुल रु. 3,766.93 करोड़ 9.00% की दर से पूंजी पर्याप्तता अनुपात</p>																																													
<p>(घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता:</p> <ul style="list-style-type: none"> मूल संकेतक पद्धति 	<p>⇒ रु. 4,972 करोड़</p> <p>.....</p> <p>कुल रु. 4,972 करोड़ 9.00% की दर से पूंजी पर्याप्तता अनुपात</p>																																													
<p>(ड) योग और श्रेणी-I पूंजी का अनुपात:</p> <ul style="list-style-type: none"> शीर्ष समेकित समूह के लिए, तथा बैंक की महत्वपूर्ण अनुबंधितियों के लिए (स्टैंड एलोन) 	<p align="center">दिनांक 31.03.2009 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>श्रेणी I (%)</th> <th>योग (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>भारतीय स्टेट बैंक</td> <td>9.38</td> <td>14.25</td> </tr> <tr> <td>एसबीआई समूह</td> <td>9.03</td> <td>14.17</td> </tr> <tr> <td>स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर</td> <td>8.46</td> <td>14.52</td> </tr> <tr> <td>स्टेट बैंक आफ हैदराबाद</td> <td>7.14</td> <td>11.53</td> </tr> <tr> <td>स्टेट बैंक आफ इंदौर</td> <td>7.91</td> <td>13.46</td> </tr> <tr> <td>स्टेट बैंक आफ मैसूर</td> <td>7.37</td> <td>13.38</td> </tr> <tr> <td>स्टेट बैंक आफ पटियाला</td> <td>6.94</td> <td>12.60</td> </tr> <tr> <td>स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर</td> <td>8.59</td> <td>14.03</td> </tr> <tr> <td>एसबीआईसीआई बैंक लि.</td> <td>21.24</td> <td>21.24</td> </tr> <tr> <td>एसबीआई इंटरनेशनल (मारीशस) लि.</td> <td>16.30</td> <td>16.46</td> </tr> <tr> <td>भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)</td> <td>24.78</td> <td>24.78</td> </tr> <tr> <td>भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)</td> <td>12.92</td> <td>14.61</td> </tr> <tr> <td>कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को</td> <td>48.71</td> <td>48.71</td> </tr> <tr> <td>पीटी बैंक इंडो मॉनेक्स, इंडोनेशिया</td> <td>40.17</td> <td>41.42</td> </tr> </tbody> </table>		श्रेणी I (%)	योग (%)	भारतीय स्टेट बैंक	9.38	14.25	एसबीआई समूह	9.03	14.17	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	8.46	14.52	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	7.14	11.53	स्टेट बैंक आफ इंदौर	7.91	13.46	स्टेट बैंक आफ मैसूर	7.37	13.38	स्टेट बैंक आफ पटियाला	6.94	12.60	स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	8.59	14.03	एसबीआईसीआई बैंक लि.	21.24	21.24	एसबीआई इंटरनेशनल (मारीशस) लि.	16.30	16.46	भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	24.78	24.78	भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)	12.92	14.61	कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	48.71	48.71	पीटी बैंक इंडो मॉनेक्स, इंडोनेशिया	40.17	41.42
	श्रेणी I (%)	योग (%)																																												
भारतीय स्टेट बैंक	9.38	14.25																																												
एसबीआई समूह	9.03	14.17																																												
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	8.46	14.52																																												
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	7.14	11.53																																												
स्टेट बैंक आफ इंदौर	7.91	13.46																																												
स्टेट बैंक आफ मैसूर	7.37	13.38																																												
स्टेट बैंक आफ पटियाला	6.94	12.60																																												
स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर	8.59	14.03																																												
एसबीआईसीआई बैंक लि.	21.24	21.24																																												
एसबीआई इंटरनेशनल (मारीशस) लि.	16.30	16.46																																												
भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	24.78	24.78																																												
भारतीय स्टेट बैंक (केलिफोर्निया)	12.92	14.61																																												
कमर्शियल बैंक आफ इंडिया एलएलसी मॉस्को	48.71	48.71																																												
पीटी बैंक इंडो मॉनेक्स, इंडोनेशिया	40.17	41.42																																												



**TABLE DF-3 : CAPITAL STRUCTURE :
DISCLOSURES AS ON 31.03.2009
CAPITAL ADEQUACY**

Qualitative Disclosures

<p>(a) A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sensitivity Analysis is conducted annually or more frequently as required, on the movement of Capital Adequacy Ratio (CAR) in the medium horizon of 3 to 5 years, considering the projected growth in Advances, investment in Subsidiaries/Joint Ventures and the impact of Basel II Framework etc. • CAR of the Bank is estimated to be well above the Regulatory CAR of 9% in the medium horizon of 3 to 5 years. However, to maintain adequate capital, the Bank has ample options to augment its capital resources by raising Subordinated Debt and Hybrid Instruments, besides Equity, as and when required. • State Bank of India has raised equity through Rights Issue during the FY: 2007-08 and has added an additional Capital Funds (Tier I) of about Rs.16,722 crores to ensure a minimum Tier I capital of 8%. Further, the Bank has raised Equity through ESPS (Employees Stock Purchase Scheme) during FY 08-09 aggregating Rs.542 crores. • During FY: 2008-09, State Bank of India has raised Tier II Subordinated Debt of Rs. 8000 crores (reckoned as Tier II Capital) in 5 tranches. • The Bank has put in place the ICAAP Policy and the same is being reviewed on a yearly basis, which would enable us to maintain Economic Capital, thereby reducing substantial Capital Risk. 																																													
<p>Quantitative Disclosures (b) Capital requirements for credit risk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portfolios subject to standardized approach • Securitization exposures 	<p>⇒ Fund Based: Rs. 64,023 crores</p> <p>⇒ Nil</p> <p>.....</p> <p>Total Rs. 64,023 crores @ 9.00% CAR</p>																																													
<p>(c) Capital requirements for market risk (* Standardized duration approach)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interest Rate Risk (Including Derivatives) • Foreign Exchange Risk (including gold) • Equity Risk 	<p>⇒ Rs. 2,041.71 crores</p> <p>⇒ Rs. 109.93 crores</p> <p>⇒ Rs. 1,615.29 crores</p> <p>.....</p> <p>Total Rs.3,766.93 crores @ 9.00% CAR</p>																																													
<p>(d) Capital requirements for operational risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basic indicator approach 	<p>⇒ Rs. 4,972 crores</p> <p>.....</p> <p>Total Rs. 4,972 crores @ 9.00% CAR</p>																																													
<p>(e) Total and Tier I capital ratio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • For the top consolidated group; and • For significant bank subsidiaries (stand alone) 	<p align="center">CAPITAL ADEQUACY RATIO AS ON 31.03.2009</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th align="center">Tier I (%)</th> <th align="center">Total (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>State Bank of India</td><td align="center">9.38</td><td align="center">14.25</td></tr> <tr><td>SBI Group</td><td align="center">9.03</td><td align="center">14.17</td></tr> <tr><td>State Bank of Bikaner & Jaipur</td><td align="center">8.46</td><td align="center">14.52</td></tr> <tr><td>State Bank of Hyderabad</td><td align="center">7.14</td><td align="center">11.53</td></tr> <tr><td>State Bank of Indore</td><td align="center">7.91</td><td align="center">13.46</td></tr> <tr><td>State Bank of Mysore</td><td align="center">7.37</td><td align="center">13.38</td></tr> <tr><td>State Bank of Patiala</td><td align="center">6.94</td><td align="center">12.60</td></tr> <tr><td>State Bank of Travancore</td><td align="center">8.59</td><td align="center">14.03</td></tr> <tr><td>SBICI Bank Ltd.</td><td align="center">21.24</td><td align="center">21.24</td></tr> <tr><td>SBI International (Maritius) Ltd.</td><td align="center">16.30</td><td align="center">16.46</td></tr> <tr><td>State Bank of India (Canada)</td><td align="center">24.78</td><td align="center">24.78</td></tr> <tr><td>State Bank of India (California)</td><td align="center">12.92</td><td align="center">14.61</td></tr> <tr><td>Commercial Bank of India LLC Moscow</td><td align="center">48.71</td><td align="center">48.71</td></tr> <tr><td>PT Bank Indo Monex, Indonesia</td><td align="center">40.17</td><td align="center">41.42</td></tr> </tbody> </table>		Tier I (%)	Total (%)	State Bank of India	9.38	14.25	SBI Group	9.03	14.17	State Bank of Bikaner & Jaipur	8.46	14.52	State Bank of Hyderabad	7.14	11.53	State Bank of Indore	7.91	13.46	State Bank of Mysore	7.37	13.38	State Bank of Patiala	6.94	12.60	State Bank of Travancore	8.59	14.03	SBICI Bank Ltd.	21.24	21.24	SBI International (Maritius) Ltd.	16.30	16.46	State Bank of India (Canada)	24.78	24.78	State Bank of India (California)	12.92	14.61	Commercial Bank of India LLC Moscow	48.71	48.71	PT Bank Indo Monex, Indonesia	40.17	41.42
	Tier I (%)	Total (%)																																												
State Bank of India	9.38	14.25																																												
SBI Group	9.03	14.17																																												
State Bank of Bikaner & Jaipur	8.46	14.52																																												
State Bank of Hyderabad	7.14	11.53																																												
State Bank of Indore	7.91	13.46																																												
State Bank of Mysore	7.37	13.38																																												
State Bank of Patiala	6.94	12.60																																												
State Bank of Travancore	8.59	14.03																																												
SBICI Bank Ltd.	21.24	21.24																																												
SBI International (Maritius) Ltd.	16.30	16.46																																												
State Bank of India (Canada)	24.78	24.78																																												
State Bank of India (California)	12.92	14.61																																												
Commercial Bank of India LLC Moscow	48.71	48.71																																												
PT Bank Indo Monex, Indonesia	40.17	41.42																																												



तालिका डी एफ - 4 ऋण जोखिम:
सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

● पिछले बकायों और अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)

अलाभकारी आस्तियाँ

कोई भी आस्ति ऐसी स्थिति में अलाभकारी आस्ति बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। 31 मार्च 2006 से ऐसे अग्रिमों को अलाभकारी आस्ति (एनपीए) माना जाता है जहाँ :

- किसी भी मीयादी ऋण के ब्याज और अथवा मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।
- किसी ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है।
- खरीदे गए बिल और भुनाए गए बिल के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है।
- अन्य खातों के संबंध में प्राप्त की जाने वाली कोई राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।
- अल्प अवधि फसलों के लिए संस्वीकृत कोई ऋण एनपीए माना जाता है, यदि मूलधन की किस्त अथवा उसपर ब्याज दो फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है तथा दीर्घावधि फसलों के लिए तब एनपीए माना जाता है यदि मूलधन की किस्त अथवा उसपर ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है।
- कोई खाता तभी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिनों के अंदर अदा नहीं कर दिया जाता।

'अनियमित' श्रेणी

कोई ऐसी स्थिति में 'अनियमित' माना जाना चाहिए यदि बकाया शेष निरंतर संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक रहता है।

ऐसे मामलों में जहाँ मूल परिचालन खाते में बकाया शेष संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम है किंतु बैंक के तुलन पत्र की तिथि को निरंतर 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की गई है अथवा उस अवधि के दौरान लगाए गए ब्याज को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि जमा नहीं है तो ऐसे खातों को 'अनियमित' माना जाएगा।

'अतिदेय'

किसी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' मानी जाती है यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित की गई तिथि को अदा नहीं की गई है।

● बैंक की ऋण जोखिम-प्रबंधन नीति की चर्चा

बैंक में ऋण जोखिम-प्रबंधन नीति लागू है जिसकी समीक्षा बैंक द्वारा समय समय पर की जाती है। इस संदर्भ में विगत कुछ वर्षों में विकसित धारणाओं और वास्तविक अनुभव के परिणामस्वरूप ऋण जोखिम-प्रबंधन नीति एवं कार्यविधियों में सुधार किए गए हैं। बेसल II समझौते में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप प्रणाली एवं कार्यविधियों को सम्मिलित किया गया है।

ऋण जोखिम-प्रबंधन में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, आकलन, जोखिम की निगरानी तथा उसका नियंत्रण शामिल है।

ऋण जोखिम की पहचान और निर्धारण में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :

- 'ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रणाली' के प्रतिमानों को विकसित करना और उनमें सुधार लाना जिससे कि प्रतिरूपी जोखिम का निर्धारण, विभिन्न जोखिम जिन्हें मुख्य रूप में वित्तीय, औद्योगिक तथा प्रबंधन जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक का अलग अलग स्कोर दिया जाता है, के आधार पर किया जा सके।
- औद्योगिक अनुसंधान का कार्य करना जिससे कि विशिष्ट नीति तैयार की जा सके तथा बड़े महत्वपूर्ण औद्योगिक संविभागों को संभालने के लिए समय समय पर उद्योगों/खंडों के सामान्य दृष्टिकोण पर सलाह जारी करना जिससे कि मात्रात्मक निवेश मानदंड स्थापित किए जा सकें।

ऋण जोखिम के निर्धारण में निवेश की सीमा स्थापित करना शामिल है जिससे कि कंपनियों, सामूहिक कंपनियों, उद्योगों, संपार्श्विक तथा भौगोलिक प्रकार के आयामों के लिए विविध संविभाग तैयार किए जा सकें। बेहतर जोखिम प्रबंधन तथा ऋण जोखिम के केन्द्रीकरण से बचने के लिए वैयक्तिक कंपनियों, सामूहिक कंपनियों, बैंकों, वैयक्तिक उधारकर्ताओं, गैर-कारपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्र जैसे पूंजी बाजार, स्थावर संपदा, संवेदनशील वस्तुओं आदि के विवेकपूर्ण निवेश मानदंडों पर आंतरिक दिशा निर्देश लागू हैं।

बैंक के पास एक ऐसी ऋण नीति भी है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविभाग के अंतर्गत वैयक्तिक परिसंपत्तियों की गुणता में अत्यधिक गिरावट न हो। इसके साथ-साथ इसका उद्देश्यों ऋण के मूल सिद्धांतों, मूल्यांकन कौशल, प्रलेखीकरण मानकों तथा संस्थागत चिंताओं तथा उद्देश्यों के दृष्टिकोण में एकरूपता स्थापित करते हुए लचीले एवं नवोन्मेषी उपायों के लिए पर्याप्त संभावना रखते हुए संविभाग-स्तर पर कुल परिसंपत्तियों के स्तर में सुधार लाना है।

ऋण जोखिम के विविध आयामों जैसे मूल्यांकन, कीमत निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, प्रलेखीकरण, रिपोर्टिंग तथा निगरानी, समीक्षा तथा ऋण सुविधाओं के नवीकरण, ऋण संबंधी समस्याओं का प्रबंधन, ऋण की निगरानी आदि के लिए बैंक के पास प्रक्रियाएं और नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध हैं।



TABLE DF-4 : CREDIT RISK:
GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures:

• **Definitions of past due and impaired assets (for accounting purposes)**

Non-performing assets

An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the Bank. As from 31st March 2006, a non-performing Asset (NPA) is an advance where

- (i) Interest and/or installment of principal remain 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of a Term Loan
- (ii) The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC)
- (iii) The bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted
- (iv) Any amount to be received remains 'overdue' for a period of more than 90 days in respect of other accounts
- (v) A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons and a loan granted for long duration crops is treated as NPA, if installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season
- (vi) An account would be classified as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.

'Out of Order' status

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power.

In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Bank's Balance Sheet, or where credits are not enough to cover the interest debited during the same period, such accounts are treated as 'out of order'.

'Overdue'

Any amount due to the Bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the Bank.

• **Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy**

The Bank has in place a Credit Risk Management Policy which is reviewed from time to time. Over the years, the policy & procedures in this regard have been refined as a result of evolving concepts and actual experience. The policy and procedures have been aligned to the approach laid down in Basel-II Guidelines.

Credit Risk Management encompasses identification, assessment, measurement, monitoring and control of the credit exposures.

In the processes of identification and assessment of Credit Risk, the following functions are undertaken :

- (i) Developing and refining the Credit Risk Assessment (CRA) Models to assess the Counterparty Risk, by taking into account the various risks categorized broadly into Financial, Business, Industrial and Management Risks, each of which is scored separately.
- (ii) Conducting industry research to give specific policy prescriptions and setting quantitative exposure parameters for handling portfolio in large / important industries, by issuing advisories on the general outlook for the Industries / Sectors, from time to time.

The measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well-diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type, and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual companies, group companies, Banks, individual borrowers, non-corporate entities, sensitive sectors such as capital market, real estate, sensitive commodities, etc., are in place.

The Bank has also a Loan Policy which aims at ensuring that there is no undue deterioration in quality of individual assets within the portfolio. Simultaneously, it also aims at continued improvement of the overall quality of assets at the portfolio level, by establishing a commonality of approach regarding credit basics, appraisal skills, documentation standards and awareness of institutional concerns and strategies, while leaving enough room for flexibility and innovation.

The Bank has processes and controls in place in regard to various aspects of Credit Risk Management such as appraisal, pricing, credit approval authority, documentation, reporting and monitoring, review and renewal of credit facilities, managing of problem loans, credit monitoring, etc.



भारतीय स्टेट बैंक
तालिका डीएफ-4: ऋण जोखिम - मात्रात्मक प्रकटीकरण
31.03-2009 के आंकड़े

मात्रात्मक प्रकटीकरण:	राशि करोड़ रुपये में		
	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
(ख) कुल सकल ऋण जोखिम राशि	759520.45	233152.02	992672.47
(ग) ऋण जोखिम राशि का भौगोलिक वितरण: निधि आधारित/गैर निधि आधारित			
i) विदेशी	93696.27	9392.41	103088.68
ii) देशी	665824.18	223759.61	889583.79
(घ) ऋण जोखिम राशि का उद्योग के प्रकार अनुसार वितरण निधि आधारित/गैर निधि आधारित अलग अलग	कृपया तालिका 'क' देखें		
(ङ) आस्तियों का अवशिष्ट संबिदात्मक परिपक्वता विश्लेषण	कृपया तालिका 'ख' देखें		
(च) अर्थात् आस्तियों की राशि (सकल) योग (i से v)	18916.70		
i) अवमानक	9451.50		
ii) संदिग्ध 1	3766.53		
iii) संदिग्ध 2	2745.12		
iv) संदिग्ध 3	1084.81		
v) हानिप्रद	1868.74		
(छ) निवल अनर्जक आस्तियां	11167.59		
(ज) अनर्जक आस्ति अनुपात			
i) सकल अग्रिमों में सकल अनर्जक आस्तियां	1.91%		
ii) निवल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियां	1.13%		
(झ) अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़ (सकल)			
i) अथशेष	15546.56		
ii) परिवर्धन	13238.47		
iii) कटौतियां	9868.33		
iv) इतिशेष	18916.70		
(ञ) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
i) अथशेष	6468.93		
ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	5354.64		
iii) बट्टा खाता डालना	4051.02		
iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	23.44		
v) इतिशेष	7749.11		
(ट) अनर्जक निवेशों की राशि	947.74		
(ठ) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि	731.58		
(ड) निवेशों पर ह्रास के संबंध में प्रावधानों का उतार-चढ़ाव			
अथशेष	1269.91		
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1988.62		
बट्टा खाता डालना	107.71		
अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	920.74		
इतिशेष	230.08		

तालिका - क
उद्योग के प्रकार के अनुसार ऋण जोखिम का वितरण
(राशि करोड़ रुपये में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित [बकाया]			गैर-निधि आधारित [बकाया]
		मानक	अनर्जक आस्ति	कुल	
1	कोयला	1235.92	8.75	1244.67	1509.18
2	खनन	11243.65	82.15	11325.80	1504.87
3	लोह एवं इस्पात	22301.76	737.47	23039.23	15120.84
4	धातु उत्पाद	2729.77	184.83	2914.60	2618.79
5	समी अभियांत्रिकी	14465.95	470.26	14936.21	17629.67
5.1	इसमें इलेक्ट्रॉनिक संबंधी	4590.18	342.04	4932.22	2039.23
6	बिजली	10024.98	1638.01	11662.99	6441.95
7	कपड़ा उद्योग	20221.98	450.16	20672.14	2703.77
8	जूट वस्त्र	490.30	14.39	504.69	48.96
9	अन्य वस्त्र	18364.12	284.79	18648.91	1179.54
10	शक्कर	7303.06	17.72	7320.78	489.11
11	चाय	482.61	102.72	585.33	67.07
12	खाद्य प्रसंस्करण	13460.22	436.11	13896.33	797.37
13	वनस्पती तेल एवं वनस्पती	4083.96	113.09	4197.05	1139.61
14	तम्बाकू / तम्बाकू उत्पाद	661.60	6.73	668.33	31.78
15	कागज / कागज उत्पाद	4550.32	182.14	4732.46	720.88
16	रबड़ / रबड़ उत्पाद	3139.35	62.90	3202.25	526.62
17	रसायन/ रंगाई/ रंग आदि	23435.78	428.00	23863.78	4974.99
17.1	इसमें उर्वरक	6078.09	61.69	6139.78	2572.71
17.2	इसमें पेट्रोरसायन	2009.83	58.67	2068.50	1203.30
17.3	इसमें दवाइयां एवं औषधियां	8801.36	120.60	8921.96	882.73
18	सीमेंट	5104.96	31.88	5136.84	709.04
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2257.94	31.45	2289.39	336.85
20	रत्न एवं आभूषण	11849.93	230.06	12079.99	722.01
21	निर्माण	16088.98	487.74	16576.72	5284.34
22	पेट्रोलियम	23271.80	19.01	23290.81	20654.45
23	आटोमोबाइल एवं ट्रक	8836.31	109.05	8945.36	406.22
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	20860.44	21.86	20882.30	455.36
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	35817.17	341.45	36158.62	9934.63
25.1	इसमें पाँवर	15162.09	90.72	15252.81	1494.08
25.2	इसमें दूर संचार	12235.18	122.04	12357.22	2614.26
25.3	इसमें सड़क और बंदरगाह	10108.64	71.41	10180.05	5610.00
26	अन्य उद्योग	112132.93	1597.95	113730.88	86942.30
27	एन बी एफ सी और ट्रेडिंग	130678.06	2363.45	133041.51	12133.63
28	शेष सकल अग्रिमों में अवशिष्ट अग्रिम	215509.90	8462.58	223972.48	38068.19
	कुल	740603.75	18916.70	759520.45	233152.02



STATE BANK OF INDIA

Table DF-4 : Credit Risk - Quantitative Disclosures
Data as on 31.03.2009

General Disclosures:	Amount in Rs. crores		
	Fund Based	Non FB	Total
(b) Total gross credit risk exposures	759520.45	233152.02	992672.47
(c) Geographic distribution of exposures : FB / NFB			
i) Overseas	93696.27	9392.41	103088.68
ii) Domestic	665824.18	223759.61	889583.79
(d) Industry type distribution of exposures Fund based / Non Fund Based separately	Please refer Table "A"		
(e) Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets	Please refer Table "B"		
(f) Amount of NPAs (Gross) i.e. SUM (i to v)	18916.70		
i) Substandard	9451.50		
ii) Doubtful 1	3766.53		
iii) Doubtful 2	2745.12		
iv) Doubtful 3	1084.81		
v) Loss	1868.74		
(g) Net NPAs	11167.59		
(h) NPA Ratios			
i) Gross NPAs to gross advances	1.91%		
ii) Net NPAs to net advances	1.13%		
(i) Movement of NPAs (Gross)			
i) Opening balance	15546.56		
ii) Additions	13238.47		
iii) Reductions	9868.33		
iv) Closing balance	18916.70		
(j) Movement of provisions for NPAs			
i) Opening balance	6468.93		
ii) Provisions made during the period	5354.64		
iii) Write-off	4051.02		
iv) Write-back of excess provisions	23.44		
v) Closing balance	7749.11		
(k) Amount of Non-Performing Investments	947.74		
(l) Amount of provisions held for non-performing investments	731.58		
(m) Movement of Provisions for Depreciation on Investments			
Opening balance	1269.91		
Provisions made during the period	1988.62		
Write-off	107.71		
Write-back of excess provisions	920.74		
Closing balance	2230.08		

Table- A

Industry Type Distribution of Exposures as on 31.03.2009

(Amount in Rs. crores)

CODE	INDUSTRY	FUND BASED [Outstandings-(O/s)]			NON-FUND BASED(O/s)
		Standard	NPA	Total	
1	Coal	1235.92	8.75	1244.67	1509.18
2	Mining	11243.65	82.15	11325.80	1504.87
3	Iron & Steel	22301.76	737.47	23039.23	15120.84
4	Metal Products	2729.77	184.83	2914.60	2618.79
5	All Engineering	14465.95	470.26	14936.21	17629.67
5.1	Of which Electronics	4590.18	342.04	4932.22	2039.23
6	Electricity	10024.98	1638.01	11662.99	6441.95
7	Cotton Textiles	20221.98	450.16	20672.14	2703.77
8	Jute Textiles	490.30	14.39	504.69	48.96
9	Other Textiles	18364.12	284.79	18648.91	1179.54
10	Sugar	7303.06	17.72	7320.78	489.11
11	Tea	482.61	102.72	585.33	67.07
12	Food Processing	13460.22	436.11	13896.33	797.37
13	Vegetable Oils & Vanaspati	4083.96	113.09	4197.05	1139.61
14	Tobacco / Tobacco Products	661.60	6.73	668.33	31.78
15	Paper / Paper Products	4550.32	182.14	4732.46	720.88
16	Rubber / Rubber Products	3139.35	62.90	3202.25	526.62
17	Chemicals / Dyes / Paints etc.	23435.78	428.00	23863.78	4974.99
17.1	Of which Fertilizers	6078.09	61.69	6139.78	2572.71
17.2	Of which Petrochemicals	2009.83	58.67	2068.50	1203.30
17.3	Of which Drugs & Pharmaceuticals	8801.36	120.60	8921.96	882.73
18	Cement	5104.96	31.88	5136.84	709.04
19	Leather & Leather Products	2257.94	31.45	2289.39	336.85
20	Gems & Jewellery	11849.93	230.06	12079.99	722.01
21	Construction	16088.98	487.74	16576.72	5284.34
22	Petroleum	23271.80	19.01	23290.81	20654.45
23	Automobiles & Trucks	8836.31	109.05	8945.36	406.22
24	Computer Software	20860.44	21.86	20882.30	455.36
25	Infrastructure	35817.17	341.45	36158.62	9934.63
25.1	Of which Power	15162.09	90.72	15252.81	1494.08
25.2	Of which Telecommunication	12235.18	122.04	12357.22	2614.26
25.3	Of which Roads & Ports	10108.64	71.41	10180.05	5610.00
26	Other Industries	112132.93	1597.95	113730.88	86942.30
27	NBFCs & Trading	130678.06	2363.45	133041.51	12133.63
28	Res. Adv to bal. Gross Advances	215509.90	8462.58	223972.48	38068.19
	Total	740603.75	18916.70	759520.45	233152.02



तालिका-ख

डीएफ-4 (ड) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) आस्तियों का दिनांक 31.03.2009 को अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विवरण

(रु. करोड़ में)

	1-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक किंतु 6 माह तक	6 माह से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1 नकदी	5363.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5363.36
2 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	16230.72	388.64	1369.74	2212.81	2620.91	12944.83	9706.07	23111.70	68585.42
3 अन्य बैंकों के पास जमाशेष	23186.51	1904.45	5549.05	575.46	2026.14	1236.76	1686.51	13488.21	49653.09
4 निवेश	23987.47	5613.52	27530.61	12193.11	13184.98	45140.81	71641.78	162693.15	361985.43
5 अग्रिम	97969.41	11991.55	49144.30	38788.28	38698.20	326116.28	71203.83	116446.74	750358.59
6 अचल आस्तियाँ	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	2.38	5117.10	5140.68
7 अन्य आस्तियाँ	22006.29	4079.60	1341.42	5546.43	8590.74	5832.37	395.92	4659.64	52452.41
कुल	188761.66	23977.76	84935.12	59316.09	65120.97	391274.35	154636.49	325516.54	1293538.98

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों हेतु प्रकटन

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

- **प्रयुक्त रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ में परिवर्तनों के कारण भी**
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए केयर, क्रिसिल, आइसीआरए एवं फिच इंडिया (देशीय ऋण रेटिंग एजेंसियों) एवं फिच, मूडीज एवं एस एंड पी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में क्रमशः चयन किया है जिनकी रेटिंगों का पूंजी परिकलन के लिए प्रयोग किया गया।
- **ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लायी गयी**
 - (i) एक वर्ष से कम अथवा समान संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शार्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।
 - (ii) देशीय कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि का विचार किए बिना) के लिए एवं। वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु, लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।
 - (iii) विदेशी ऋण जोखिमों के लिए, संविदात्मक परिपक्वता का विचार किए बिना, अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।
- **पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण**
निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी- ग्राहक / प्रतिपक्ष की अन्य अनरेटिड एकसपोजर्स के लिए लांग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी-ग्राहक / प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई:
 - इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एकसपोजर्स के समतुल्य या अधिक हैं तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे कम हो तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
 - उन मामलों में जहां ऋणी- ग्राहक/ प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एकसपोजर की परिपक्वता रेटिड डैट की परिपक्वता के बाद की नहीं थी तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के अनरेटिड एकसपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

(ख) 31-3-2009 को गुणात्मक प्रकटीकरण	(राशि करोड़ रुपये में)
मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात ऋण जोखिम की राशियों के लिए प्रत्येक जोखिम समूह और कटौती की गई जोखिम राशि में बैंक की बकाया राशियाँ (रेटिंग सहित और रेटिंग रहित)	100% जोखिम भार से नीचे : रु. 621590.56 100% जोखिम भार : रु. 304530.27 100% से अधिक : रु. 60168.89 कटौती की : रु. 6382.75
	योग : रु. 992672.47

तालिका डीएफ-6 ऋण जोखिम न्यूनीकरण:मानकीकृत पद्धति के लिए प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- **संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ**
ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक नीति निर्धारित की गई है, जिसमें पूंजी - परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है।
इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण और मूल्यांकन करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किए जा सकें। इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसके द्वारा ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सके। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है :
 - (i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण
 - (ii) स्वीकार्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदें
 - (iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया
 - (iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन
 - (v) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा
 - (vi) बीमा
 - (vii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी





Table- B

DF-4 (e) SBI (Consolidated) Residual contractual maturity breakdown of assets as on 31.03.2009

(Rupees in crores)

	1-14 days	15-28 days	29 days & up to 3 months	Over 3 months & upto 6 months	Over 6 months & upto 1 year	Over 1 year & upto 3 years	Over 3 years & upto 5 years	Over 5 years	Total
1 Cash	5363.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5363.36
2 Balances with RBI	16230.72	388.64	1369.74	2212.81	2620.91	12944.83	9706.07	23111.70	68585.42
3 Balances with other Banks	23186.51	1904.45	5549.05	575.46	2026.14	1236.76	1686.51	13488.21	49653.09
4 Investments	23987.47	5613.52	27530.61	12193.11	13184.98	45140.81	71641.78	162693.15	361985.43
5 Advances	97969.41	11991.55	49144.30	38788.28	38698.20	326116.28	71203.83	116446.74	750358.59
6 Fixed Assets	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30	2.38	5117.10	5140.68
7 Other Assets	22006.29	4079.60	1341.42	5546.43	8590.74	5832.37	395.92	4659.64	52452.41
TOTAL	188761.66	23977.76	84935.12	59316.09	65120.97	391274.35	154636.49	325516.54	1293538.98

TABLE DF-5 : CREDIT RISK:

DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO STANDARDISED APPROACH

(a) **Qualitative Disclosures:**

• **Names of Credit Rating Agencies used, plus reasons for any changes**

As per the RBI Guidelines, the Bank has identified CARE, CRISIL, ICRA and FITCH India (Domestic Credit Rating Agencies) and FITCH, Moody's and S&P (International Rating Agencies) as approved Rating Agencies, for the purpose of rating Domestic and Overseas Exposures, respectively, whose ratings are used for the purpose of capital calculation.

• **Types of exposures for which each Agency is used**

(i) For Exposures with a contractual maturity of less than or equal to one year (except Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits), Short-term Ratings given by approved Rating Agencies is used.

(ii) For Domestic Cash Credit, Overdraft and other Revolving Credits (irrespective of the period) and for Term Loan exposures of over 1 year, Long Term Ratings is used.

(iii) For Overseas Exposures, irrespective of the contractual maturity, Long Term Ratings given by approved Rating Agencies is used.

• **Description of the process used to transfer Public Issue Ratings onto comparable assets in the Banking Book**

Long-term Issue Specific Ratings (For the Bank's own exposures or other issuance of debt by the same borrower-constituent/counter-party) or Issuer (borrower-constituents/counter-party) Ratings are applied to other unrated exposures of the same borrower-constituent/counter-party in the following cases :

• If the Issue Specific Rating or Issuer Rating maps to Risk Weight equal to or higher than the unrated exposures, any other unrated exposure on the same counter-party is assigned the same Risk Weight, if the exposure ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

• In cases where the borrower-constituent/counter-party has issued a debt (which is not a borrowing from the Bank), the rating given to that debt is applied to the Bank's unrated exposures, if the Bank's exposure ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of unrated Bank's exposure is not later than the maturity of rated debt.

(b) Quantitative Disclosures as on 31.03.2009	(Amount in Rupee crores)
For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in each risk bucket as well as those that are deducted	Below 100% RW : Rs. 621590.56 100% RW : Rs. 304530.27 More than 100% : Rs. 60168.89 Deducted : Rs. 6382.75
	Total . Rs. 992672.47

TABLE DF-6 : CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH

(a) **Qualitative Disclosures :**

• **Policies and Processes for Collateral Valuation and Management**

A Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, addressing the Bank's approach towards the credit risk mitigants used for capital calculation is in place.

The objective of this Policy is to enable classification and valuation of credit risk mitigants in a manner that allows regulatory capital adjustment to reflect them.

The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts), wherever applicable against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. The following issues are addressed in the Policy :

- (i) Classification of credit risk mitigants
- (ii) Acceptable credit risk mitigants
- (iii) Documentation and legal process requirements for credit risk-mitigants
- (iv) Valuation of collateral
- (v) Custody of collateral
- (vi) Insurance
- (vii) Monitoring of credit risk mitigants





- बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ ली गई हैं उनका ब्योरा मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मर्दों के रूप में मान्यता प्राप्त है:
 - नकदी या नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियाँ/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)
 - स्वर्ण
 - केंद्रीय / राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
 - ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ जिन्हें बीबीबी या बेहतर रेटिंग प्राप्त है / अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए पीआर 3 / पी 3 / एफ 3 / ए 3
- मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उनका ब्योरा और उनकी ऋण - पात्रता बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करता है :
 - सरकार, सरकारी संस्थाएँ (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपीय केंद्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुदेशीय विकास बैंक, ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई, सरकारी क्षेत्र के उद्यम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी (प्राइमरी डीलर) जिनका प्रतिपक्ष की तुलना में कम जोखिम भार हो।
 - अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबद्ध कंपनी या अनुषंगी हो तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी (ऑब्लिगर) से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं (गारंटियों में भी) में हिस्सेदारी है।

जोखिम न्यूनीकरण मर्दों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋणों) के बारे में जानकारी :

बैंक का आस्ति - संविभाग भलीभांति विविधीकृत है जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ प्राप्त की गई हैं, यथा :-

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ
- सरकारों और अच्छी रेटिंग वाले कारपोरेटों द्वारा गारंटियाँ,
- प्रतिपक्षों की अचल और चालू आस्तियाँ,

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण: 31.03.2009 को स्थिति	(राशि करोड़ रुपये में)
मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत प्रकटित ऋण जोखिम संविभाग हेतु मार्जिन लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा संरक्षित कुल ऋण	₹. 112650.38

तालिका डीएफ-7: प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण (31.03.2009 को)

गुणात्मक प्रकटीकरण

- प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का उद्देश्य लाभ-समानुपातों, आस्ति निष्पादन एवं गुणवत्ता और इच्छित विनिधान एवं परिपक्वता क्षेत्रों में बेहदरी प्राप्त करना है।
- स्पेशल परपज वेहिकल (एसपीवी) को अंतरित आस्तियों की बिक्री में हुए घाटे को प्रारंभ में ही शामिल कर लिया जाएगा।
- प्रतिभूतिकृत आस्तियों की बिक्री पर हुए लाभ का एसपीवी द्वारा प्रदत्त पास थ्रू प्रमाण पत्र (पी टी सी) में दी गई अवधि के अंतर्गत परिशोधन किया जाएगा।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

कोई भी प्रतिभूतिकरण जोखिम नहीं है, इसलिए कोई मात्रात्मक प्रकटीकरण नहीं किया जा रहा है।

तालिका डीएफ-8 : व्यापार-बढ़ी में बाजार-जोखिम

31.03.2009 को मानकीकृत अवधि पद्धति का उपयोग करते हुए बैंकों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

- 1) बाजार जोखिम की गणना के अंतर्गत - मानकीकृत अवधि पद्धति द्वारा निम्नलिखित संविभागों को शामिल किया गया है :
 - 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली प्रतिभूतियाँ
 - 'व्यापार के लिए रखी गई' और 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणियों की प्रतिभूतियों की प्रतिरक्षा के लिए और व्यापार के लिए डेरीवेटिव्स निष्पादित किए गए।
- 2) जोखिम प्रबंधन संरचना के लिए बैंक और अनुषंगियों के संबंधित बोर्डों के अनुमोदन के आधार पर बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी)/मध्य कार्यालय खोले गए हैं। बाजार जोखिम इकाइयाँ - राजकोष परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं।
- 3) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए - सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों सहित बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापार और विनिधान नीतियाँ लागू की गई हैं। जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और निर्धारित अंतरालों पर स्थिति की सूचना शीर्ष प्रबंधन और जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है।
- 4) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिन्दु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।
- 5) विदेशी कार्यालय अपने निवेश-संविभाग की निगरानी उस देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं के अनुसार करते हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए स्टॉप लोस लिमिट और जोखिम सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।
- 6) जोखिम रूपरेखाओं का विश्लेषण किया जाता है और उनकी प्रभावकारिता की निरंतर आधार पर निगरानी की जाती है।
- 7) फोरेक्स ओपन पोजीशन सीमाएँ (दिन/रात), सौदावार हानिरहित सीमाएँ, हानि नियंत्रित सीमाएँ, प्रति मुद्रा व्यापार के संबंध में लाभ/हानि की उचित निगरानी रखी जाती है और अपवादात्मक सूचना पर नियमित ध्यान दिया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

31.03.2009 की स्थिति के अनुसार - बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम विनियामक पूंजी अपेक्षा निम्नवत है : (रुपये करोड़ में)

• ब्याज दर जोखिम (डेरीवेटिव्स सहित)	:	2,041.71
• ईक्विटी स्थिति जोखिम	:	1,615.29
• विदेशी विनिमय जोखिम (जिनमें स्वर्ण शामिल है)	:	109.93
योग	:	3,766.93





- **Description of the main types of Collateral taken by the Bank**

The following Collaterals are usually recognised as Credit Risk Mitigants under the Standardised Approach :

- Cash or Cash equivalent (Bank Deposits/NSCs/KVP/LIC Policy, etc.)
- Gold
- Securities issued by Central / State Governments
- Debt Securities rated BBB- or better/ PR3/P3/F3/A3 for Short-Term Debt Instruments

- **Main types of Guarantor Counterparty and their creditworthiness**

The Bank accepts the following entities as eligible guarantors, in line with RBI Guidelines :

- Sovereign, Sovereign entities [including Bank for International Settlements (BIS), International Monetary Fund (IMF), European Central Bank and European Community as well as Multilateral Development Banks, Export Credit & Guarantee Corporation (ECGC) and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE)], Public Sector Enterprises (PSEs), Banks and Primary Dealers with a lower risk weight than the Counterparty.
- Other guarantors having an external rating of AA or better. In case the guarantor is a parent company, affiliate or subsidiary, they should enjoy a risk weight lower than the obligor for the guarantee to be recognised by the Bank. The rating of the guarantor should be an entity rating which has factored in all the liabilities and commitments (including guarantees) of the entity.

Information about (Market or Credit) risk concentrations within the mitigation taken:

The Bank has a well-dispersed portfolio of assets which are secured by various types of collaterals, such as:-

- Eligible financial collaterals listed above,
- Guarantees by sovereigns and well-rated corporates,
- Fixed assets and current assets of the counterparty.

(b) Quantitative Disclosures: Status as on 31.03.2009	(Amount in Rupee crores)
For disclosed Credit Risk Portfolio under Standardised Approach, the total exposure that is covered by eligible financial collateral, after the application of haircuts:	Rs. 112650.38

**TABLE DF-7 : SECURITISATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH
As on 31.03.2009**

Qualitative Disclosures

- Bank's objective in relation to Securitisation activity is to achieve improvements in leverage ratios, asset performance & quality and to achieve desirable investment & maturity characteristics.
- Loss on sale on transfer of assets to Special Purpose Vehicle (SPV) shall be recognised upfront.
- Profit on sale of the securitised assets shall be amortised over the life of the Pass Through Certificates (PTCs) assets issued or to be issued by SPV.

Quantitative Disclosures

As there are no securitization exposures, no quantitative disclosures are being made.

TABLE DF-8 : MARKET RISK IN TRADING BOOK

Disclosures for banks using the Standardised Duration Approach as on 31.03.2009

Qualitative disclosures:

- 1) The following portfolios are covered by the **Standardised Duration** approach for calculation of Market Risk:
 - Securities held under the Held for Trading (HFT) and Available for Sale (AFS) categories.
 - Derivatives entered into for hedging HFT and AFS securities and Derivatives entered into for Trading.
- 2) Market Risk Management Department (MRMD)/Mid-Office have been put in place based on the approval accorded by the respective Boards of Banks and other subsidiaries for the Risk Management Structure. Market risk units are responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of Market Risk in Treasury operations.
- 3) Board approved Trading policies and Investment Policies with defined Market Risk management parameters for each asset class are in place. Risk monitoring is an ongoing process with the position reported to the Top management and the Risk Management Committee of the Board at stipulated intervals.
- 4) Risk Management and reporting is based on parameters such as a Modified Duration, Price Value of Basis Point (PVBPP), Maximum permissible Exposures, Net Open Position limits, Gap limits, Value at Risk (VaR) etc, in line with the global best practices.
- 5) Respective Foreign Offices are responsible for risk monitoring of their investment portfolio as per the local regulatory requirements. Stop loss limit for individual investments and exposure limits for certain portfolios have been prescribed.
- 6) Risk Profiles are analysed and their effectiveness is monitored on an ongoing basis.
- 7) Forex open position limits (Daylight/Overnight), Deal wise cut-loss limits, Stop loss limit, Profit/Loss in respect of Cross Currency trading are properly monitored and exception reporting is regularly carried out.

Quantitative disclosures:

Minimum Regulatory Capital requirements for market risk as on 31.03.2009 is as under: (Rs in crores)

• Interest rate risk (Including Derivatives)	:	2,041.71
• Equity position risk	:	1,615.29
• Foreign exchange risk (Including Gold)	:	109.93
Total	:	3,766.93



31.03.2009 को स्थिति

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक के साथ-साथ उसकी प्रत्येक बैंकिंग अनुसंधान में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है।

ख. परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियाँ

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, जिसमें परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं कार्यक्षम पहचान, निर्धारण, मापन, निगरानी कम करने एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं समनुरूप परिचालन जोखिम प्रबंधन रूपरेखा की बात कही गई है, बैंक में लागू है।
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी नीति (बीसीपी) बैंक में लागू है।
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानक संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल) उपाय बैंक में लागू हैं।
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है।

ग. कार्यनीतियाँ और प्रक्रियाएँ :

- बैंक द्वारा एक "अनुदेशावली" जारी की गई है, जिसमें बैंकिंग के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए गए हैं। दिशानिर्देश और अनुदेश जॉब कार्डों, ई-सर्कुलरों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए गए हैं।
- बैंक द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में सभी कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- भारतीय स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों की सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) के अंतर्गत लाया गया। जोखिम का प्रबंध बेहतर ढंग से करने के लिए परिचालन जोखिमों के कारण होने वाले नुकसानों का एक व्यापक आंकड़ा आधार तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- स्टाफ को प्रशिक्षण - परिचालन जोखिम की जानकारी बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में शामिल की गई है।
- बीमा - बैंक द्वारा भावी परिचालन जोखिम के लिए बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखापरीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और विशिष्ट नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए जबाबदार हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों का कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- जोखिम और नियंत्रण स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) प्रक्रिया की देशी शाखाओं और केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्रों में शुरुआत की जा रही है, ताकि बैंक में परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन, नियंत्रण और न्यूनीकरण किया जा सके।
- महत्वपूर्ण परिचालन जोखिमों का विस्तृत निर्धारण फोकस ग्रुप द्वारा किया जाता है। इस फोकस ग्रुप में नियंत्रक कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। ये ग्रुप सम्पूर्ण बैंक में कार्यान्वयन करने हेतु नियंत्रण एवं (जोखिम) कम करने के उपाय भी सुझाते हैं।

घ. जोखिम रिपोर्ट करने एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं प्रकृति-

- धोखाधड़ी रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली बैंक में लागू है। निवारक सतर्कता की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी व्यवसाय इकाइयों में स्थापित की गई है। दिनांक 31.03.2009 के लिए, परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभाव के साथ मूल संकेतक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की निवल ब्याज आय तथा उसकी आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव से संबंधित है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमा राशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल हैं। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। तुलन-पर की स्थिति के आधार पर बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरें बैंक को प्रभावित करती हैं। ब्याज दर जोखिम बैंक के तुलन-पर की आस्ति एवं देयता दोनों तरफ होता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति तुलन-पर जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियों एवं कार्यविधियों तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन समिति जोखिमों एवं प्रतिभारों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमापत्रियों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं निवृत्त करती है। निर्दिष्ट प्रकार के जोखिमों (उदाहरण के लिए ब्याज दर, चलनिधि आदि) के लिए निवेश के स्वीकृत स्तर निर्धारित कर आस्ति देयता प्रबंधन समिति बाजार जोखिम कार्यनीति भी विकसित करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह बाजार जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

- 1.1 ब्याज दर अंतर के विश्लेषण, अनुरूपता, अवधि एवं जोखिम पर मूल्य के साथ ब्याज दर जोखिम निवेश को मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे प्रत्येक महीने के अंतिम शुक्रवार को तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार, आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा करती है।
- 1.2 अवधि विश्लेषण के जरिए बैंक के निवेशों के अचल आय संविभाग की ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। बैंक, उसकी आस्तियों एवं देयताओं के आर्थिक मूल्य पर ब्याज दरों में परिवर्तन के असर का मूल्यांकन करने के लिए तिमाही आधार पर अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है और इस प्रकार ईक्विटी के बाजार मूल्य के परिवर्तन का पता लगाता है।
- 1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है :

ब्याज दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन अधिकतम प्रभाव (पूँजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)

- निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ) 5%
- ईक्विटी के बाजार मूल्य में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं के लिए ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ) 20%
- 1.4 बाजार जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल असर को पूंजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूंजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती हैं।
 - 1.5 **अवधि अंतर :** उपलब्ध बाजार ब्याज दर के किसी परिवर्तन के सहारे आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य के परिवर्तन की पहचान कर अवधि अंतर विश्लेषण द्वारा ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी की जाती है। आस्ति एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 1 प्रतिशत समानांतर परिवर्तन के साथ ईक्विटी के मूल्य (आरक्षितियों सहित) के परिवर्तन का आकलन किया जाना चाहिए। ब्याज दरों में 1 प्रतिशत परिवर्तन के साथ उस अधिकतम सीमा को पूंजी एवं आरक्षितियों के 20% तक सीमित कर दिया जाना चाहिए, जहाँ तक ईक्विटी का मूल्य (आरक्षितियों सहित) बाधित होता हो।

2. परिमाणात्मक प्रकटीकरण जोखिम पर अर्जन

आस्तियाँ	देयताएँ	निवल ब्याज
उधार दर / निवेश पर आय में 100 आधार अंकों की वृद्धि	सावधि जमा / उधार लागत में 100 आधार अंकों की वृद्धि	आय पर असर 2516.56
ईक्विटी का बाजार मूल्य		
मार्च 2009 तक		गशि करोड़ रुपये में
ईक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव		1137.73

TABLE DF-9 : OPERATIONAL RISK

Status as on 31.03.2009

A. The structure and organization of Operational Risk Management function

- The Operational Risk Management Department is functioning in SBI as well as each of the Associate Banks as part of the Integrated Risk Governance Structure under the control of respective Chief Risk Officer.

B. Policies for control and mitigation of Operational Risk

- Operational Risk Management Policy, seeking to establish explicit and consistent Operational Risk Management Framework for systematic and proactive identification, assessment, measurement, monitoring, mitigation and reporting of the Operational Risks is in place.
- Policy on Business Continuity Planning (BCP) is in place.
- Policy on Know Your Customer (KYC) Standards and Anti Money Laundering (AML) Measures is in place.
- Policy on Fraud Risk Management is in place.

C. Strategies and Processes -

The following measures are being used by the Bank to control and mitigate Operational Risks:-

- Bank has issued "Book of Instructions", which contain detailed procedural guidelines for processing various banking transactions. Amendments and modifications to these guidelines are implemented through circulars sent to all the offices. Guidelines and instructions are also propagated through Job Cards, E-Circulars, Training Programs, etc.
- Bank has issued necessary instructions to all offices regarding Delegation of Financial powers, which details sanctioning powers of various levels of Officials for different types of financial transactions.
- All branches of State Bank of India as well as Associate Banks have been brought under Core Banking System (CBS).
- The process of building a comprehensive database of losses due to Operational Risks has been initiated, to facilitate better risk management.
- Training of staff - Inputs on Operational Risk are included as a part of Risk Management modules in the training programs conducted for various categories of staff at Bank's Apex Training Institutes and Learning Centers.
- Insurance - Bank has obtained Insurance cover for most of the potential operational risks.
- Internal Auditors are responsible for the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the control systems and the functioning of specific control procedures. They also conduct review of the systems established to ensure compliance with legal and regulatory requirements, codes of conduct and the implementation of policies and procedures.
- Risk and Control Self Assessment (RCSA) process is being rolled out in domestic branches and Centralised Processing Cells (CPCs) for identification, assessment, control and mitigation of Operational Risks in the Bank.
- Detailed assessment of significant Operational Risks is conducted by Focus Groups consisting of Senior Officials at Controlling Offices. These Groups also suggest control and mitigation measures for implementation across the Bank.

D. The scope and nature of Risk Reporting and Measurement Systems -

- A system of prompt submission of reports on Frauds is in place in the Bank. A comprehensive system of Preventive Vigilance has been established in all the business units of the Group. For 31.03.2009, Basic Indicator Approach with capital charge of 15% of average gross income for previous 3 years is adopted for Operational Risk.

TABLE DF-10

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

1. Qualitative Disclosures

INTEREST RATE RISK:

Interest rate risk refers to fluctuations in Bank's Net Interest Income and the value of its assets and liabilities arising from internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and re-pricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet positioning. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset - Liability Management Committee (ALCO) which is responsible for evolving appropriate systems and procedures for ongoing identification and analysis of Balance Sheet risks and laying down parameters for efficient management of these risks through Asset Liability Management Policy of the Bank. ALCO, therefore, periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates, and directing the investment activities of the Bank. ALCO also develops the market risk strategy by clearly articulating the acceptable levels of exposure to specific risk types (i.e. interest rate, liquidity etc). The Risk Management Committee of the Board of Directors (RMCB) oversees the implementation of the system for ALM and review its functioning periodically and provide direction. It reviews various decisions taken by Asset - Liability Management Committee (ALCO) for managing market risk.

- Interest rate risk exposure is measured with Interest Rate Gap analysis, Simulation, Duration and Value-at-Risk (VaR). RBI has stipulated monitoring of interest rate risk at monthly intervals through a Statement of Interest Rate Sensitivity (Repricing Gaps) to be prepared as the last Reporting Friday of each month. Accordingly, ALCO reviews Interest Rate Sensitivity statement on monthly basis.
- Interest rate risk in the Fixed Income portfolio of Bank's investments is managed through Duration analysis. Bank also carries out Duration Gap analysis (on quarterly basis) to estimate the impact of change in interest rates on economic value of bank's assets and liabilities and thus arrive at changes in Market Value of Equity (MVE).
- The following prudential limits have been fixed for monitoring of various interest risks:

Changes on account of Interest rate volatility	Maximum Impact (as % of capital and reserve)
Changes in Net Interest Income (with 1% change in interest rates for both assets and liabilities)	5%
Change in Market value of Equity (with 1% change in interest rates for assets and liabilities)	20%

- The prudential limit aims to restrict the overall adverse impact on account of market risk to the extent of 20% of capital and reserves, while part of the remaining capital and reserves serves as cushion for credit and operational risk.
- Duration Gap:** The impact of interest rate changes on the Market Value of Equity is monitored through Duration Gap analysis by recognising the changes in the value of assets and liabilities by a given change in the market interest rate. The change in value of equity (including reserves) with 1% parallel shift in interest rates for both assets and liabilities needs to be estimated. Maximum limit up to which the value of the equity (including reserves) will get affected with 1% change in interest rates to be restricted to 20% of capital and reserves.

2. Quantitative Disclosures

Earnings at Risk (EaR)

(Rs.in crores)

Assets	Liabilities	Impact on NII
Lending rate / yield on investment increase by 100 bps.	Term Deposit / Borrowing Cost increases by 100 bps.	2516.56

Market Value of Equity (MVE)

As at March 2009	Amount in Rs. crores
Impact on Market Value of Equity (MVE)	1137.73

